न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 29/2024
दायर दिनांकः 02.08.2024
निर्णय दिनांक 24.02.2025

—: अनवान :—

रमेश पुत्र तुलसासिंग जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी उपलायास, कणुजा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, कुम्भलगढ़ तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 06.01.2022 द्वारा स्वीकृत तहसीलदार, कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1— श्री उदयलाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार कुम्भलगढ़ के नामान्तरण संख्या 858 आदेश दिनांक 06.01.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी रामेश्वरलाल पिता नानाराम जी भील के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी संख्या 2290/694/1 रकबा 2.00.00 स्थित थी। यह भूमि सडक सीमा के सटमा स्थित है। उक्त भूमि लखमावतो का गुडा पटवार हल्का बनोकडा तहसील कुम्भलगढ में स्थित हैं। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी ने दिनांक 14.09.2021 को रेस्पोण्डेंट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तथाकथित खातेदार द्वारा समर्पण पत्र एवं बयान लिए गये है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ में अपलीलार्थी के पूर्वाधिकारी के बयान

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लिये गये उनमें स्पष्ट उल्लेख आया कि खातेदारी की भूमि में से 00.17 बिस्वा भूमि राज्य हीत में रास्ते के रूप में कर रहा है मेरे द्वारा किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं किया जायेगा एवं मेरी आल औलाद भी उजर एतराज नहीं करेगें। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ में बयान हुऐ उसमें कलम संख्या दो व चार में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिला प्रशासन राजसमन्द द्वारा राज्य हित में ग्राम लखमावतो का गुडा के राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के उपयोग एवं बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी ने अपने खातेदारी की भूमि में से 00.17 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में समर्पण किया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज नहीं कर केवल बिलानाम दर्ज कर दी है जो गलत होकर निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी द्वारा जो 00.17 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज की गई उसके नवीन आराजी नम्बर 2358/694 बिलानाम दर्ज की गई जो गलत होकर रास्ता दर्ज होना चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा अपने शेष बचे हिस्से को रूपान्तरण करवाया जो कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ द्वारा आदेश दिनांक 01.02.2022 को किया गया। रूपान्तरण होने के पश्चात् उक्त आराजीयात को अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया है उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण की अपीलार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में उसे राजस्व रेकार्ड की आवश्यकता होने पर दिनांक 25.06.2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की जिस पर जानकारी में आया कि भूमि रास्ते के रूप में दर्ज नहीं होकर बिलानाम ही दर्ज है। तब अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की पूर्ण रूप से जानकारी हुई। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 06.01.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी रामेश्वरलाल पिता नानाराम जी भील के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी संख्या 2290/694/1 रकबा 2.00.00 स्थित थी। यह भूमि सडक सीमा के सटमा स्थित है। उक्त भूमि लखमावतो का गुडा पटवार हल्का बनोकडा तहसील कुम्भलगढ में स्थित हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी ने दिनांक 14.09.2021 को रेस्पोण्डेंट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तथाकथित खातेदार द्वारा समर्पण पत्र एवं बयान लिए गये है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ में अपलीलार्थी के पूर्वाधिकारी के बयान लिये गये उनमें स्पष्ट उल्लेख आया कि खातेदारी की भूमि में से 00.17 बिस्वा भूमि राज्य हीत में रास्ते के रूप में कर रहा है मेरे द्वारा किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं किया जायेगा एवं मेरी आल औलाद भी उजर एतराज नहीं करेगें। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ में बयान हुऐ उसमें कलम संख्या दो व चार में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिला प्रशासन राजसमन्द द्वारा राज्य हित में ग्राम लखमावतो का गुडा के राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के उपयोग एवं बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी ने अपने खातेदारी की भूमि में से 00.17 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में समर्पण किया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज नहीं कर केवल बिलानाम दर्ज कर दी है जो गलत होकर निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी द्वारा जो 00.17 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज की गई उसके नवीन आराजी नम्बर 2358/694 बिलानाम दर्ज की गई जो गलत होकर रास्ता दर्ज होना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 06.01.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकित कराने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचाराधीन अपील में अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 858 दिनांक 06.01.2022 को इस आधार पर प्रस्तुत की कि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी रामेश्वरलाल पिता नानाराम भील ने अपनी खातेदारी आराजी संख्या 2290/694/1 रकबा 2–00 बीघा भूमि में से 0–17 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में समर्पण किया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज नही कर केवल बिलानाम दर्ज कर दी गयी जो गलत होकर निरस्त योग्य है अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 858 दिनांक 06.01.2022 को अपास्त फरमाया जावें तथा उक्त भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकंन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उक्त क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि खातेदार रामेश्वरलाल पिता नानाराम भील ने मौजा लखमावतो का गुडा में स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 2290/694/1 रकबा 2–00 बीघा भूमि में से 0–17 बिस्वा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र मय समर्पण पत्र के प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार कुम्भलगढ़ ने प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रामेश्वरलाल द्वारा प्रस्तुत समर्पण पत्र दिनांक 21.09.2021 को स्वीकार कर समर्पणशुदा 0–17–00 बिस्वा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश पारित किया व पटवारी हल्का बनोकडा को आदेशानुसार पालना हेतु निर्देशित किया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का बनोकडा द्वारा लखमावतो का गुडा का प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 858 दायर कर समर्पणशुदा 0–17–00 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की गई। उक्त नामान्तरकरण की भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नियमानुसार जॉच की गयी व तदुपरान्त तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरण तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा जारी आदेश की पालना में दर्ज व स्वीकृत किया गया जो कि नियमानुकुल व विधिसम्मत हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलाधीन प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 858, तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.09.2021 की अनुपालना में दर्ज व स्वीकृत किया गया, जो कि नियमानुकुल व विधिसम्मत हैं एवं अपीलार्थी का प्रश्नगत नामान्तरकरण से हित किस प्रकार प्रभावित हुआ यह भी अपीलार्थी सिद्ध नही कर पाया। अपीलार्थी का हित यदि तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा जारी समर्पण आदेश से प्रभावित था तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को समर्पण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो कि अपीलार्थी द्वारा नही की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 858, दिनांक 06.01.2022 को यथावत रखा जाता हैं।

24/2/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)